बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

–: अधिसूचना :–

संचिका संख्या– म०सं० / (आपदा)–02 / 2017(ख) 967 / पटना, दिनांक 13/02/23 भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 32–7 / 2014 एन०डी०एम०–01 दिनांक 08.04.2015 तथा संशोधित पत्रांक 33–03 / 2020 एन०डी०एम०–01(Vol-II) दिनांक 10.10.2022 एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–1973, दिनांक 26.05.2015 तथा संशोधित पत्रांक–6304, दिनांक 31.12.2022 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में मात्स्यिकी प्रभाग में आपदा से प्रभावित मत्स्य कृषकों को पारदर्शी तरीके से राहत उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न घटकों के लिए निम्न प्रकार सहाय्य मानदर निर्धारित करते हुए एक मानक संचालन प्रक्रिया निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है–

क्र०	घटक	इकाई लागत
1.	मछुआरों को क्षतिग्रस्त / गुम हो गई गैर–यंत्रीकृत नावों, जालों की मरम्मत / उन्हें बदलने हेतु सहायता। (यदि लाभार्थी किसी अन्य सरकारी योजना के अन्तर्गत तात्कालिक आपदा हेतु पात्र है अथवा उसने कोई सब्सिडी / सहायता प्राप्त की है तोउसे यह सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी)	• ₹ 6,000 / – आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव की मरम्मत के लिए। । • ₹ 3,000 / – आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत के लिए। • ₹ 15,000 / – पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नौकाओं के प्रतिस्थापन के लिए । • ₹ 4,000 / – पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन के लिए ।
2.	छोटे एवं सीमांत किसानों को मछली के चारे हेतु इनपुट सब्सिडी ।	• ₹ 10,000 / –प्रति हे०। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की योजना के तहत प्रदान की जाने वाली एकबारगी सब्सिडी को छोड़कर, यदि लाभार्थी किसी अन्य सरकारी योजना के तहत मौजूदा आपदा के लिए पात्र है या कोई सब्सिडी / सहायता प्राप्त की है तो उसे यह सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
3.	गाद निकालना / पुररूद्धार / मछली फार्मो की मरम्मत	• ₹ 18000 / – प्रति हे०। (इस शर्त के अधीन कि लाभार्थी द्वारा अन्य किसी सरकारी योजना के तहत कोई अन्य सहायता / सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई है / तथा वह उसको प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।)

आपदा प्रबंधन विभाग के उक्त पत्र के द्वारा निर्धारित सहाय्य मुहैया करने हेतु निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है–

1. (I) प्रत्येक वर्ष राज्य स्तर पर अप्रैल माह में मत्स्य निदेशालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर आपदा राहत से संबंधित सारी प्रक्रियाओं की जानकारी दे कर मत्स्य कृषकों को जागरूक किया जाएगा।

(II) बाढ़ से हुए क्षति का त्वरित आकलन एवं पारदर्शी जाँच कराने हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी मत्स्य कृषकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले नाव/जाल की सूची तैयार करेंगे, जिसे प्रत्येक वर्ष 15 जून तक अद्यतन कर लिया जाएगा। इसी प्रकार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा मछली जीरा फार्म/हैचरी एवं मछली फार्म (तालाब इत्यादि) का अंचलवार/पंचायतवार/कृषकवार विवरण तैयार कर कार्यालय में संधारित किया जाएगा, जिसमें फार्म/तालाब की संख्या एवं रकवा स्पष्ट रूप से अंकित होगा।

(III) जिला मत्स्य पदाधिकारी मछली जीरा फार्म में मछली जीरा के संचयन के वास्तविक स्थिति को भी अद्यतन करते रहेंगे, जिससे यह पता चले कि फार्म के बाढ़ से प्रभावित होने के पूर्व मछली जीरा का संचयन किया गया था कि नहीं।

2. बाढ़ से हुई क्षति का प्रारंभिक आकलनः–

(I). समाहर्त्ता द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मात्स्यिकी से संबंधित हुए क्षति का त्वरित प्रारंभिक आकलन अंचल अधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा। क्षति के प्रारंभिक आकलन हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा संधारित नाव/जाल/मछली जीरा फार्म/मछली फार्म से संबंधित अद्यतन सूचना को आधार बनाया जा सकेगा।

(II). मछली जीरा फार्म हेतु इनपुट अनुदान जीरा का संचयन किये जाने और उक्त फार्म में बाढ़ के पानी प्रवेश करने पर ही अनुमान्य होगा।

(III). बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मछली फार्म के डीसिल्टेशन/पुनर्स्थापना/मरम्मति हेतु सहाय्य अनुदान बांध की क्षति होने अथवा तालाब में सील्टेशन होने पर ही अनुमान्य होगा।

(IV). बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मत्स्य प्रक्षेत्र में हुए क्षति का प्रारंभिक आकलन कराकर समाहर्त्ता के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को प्रतिवेदित किया जाएगा, जिसकी एक प्रति पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को दी जाएगी।

3. आवेदन प्राप्ति की प्रक्रिया :–

(I). कृषकों से आवेदन प्राप्ति हेतु राज्य स्तरीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

(II). क्षतिपूर्त्ति दावा हेतु मत्स्य कृषकों के द्वारा संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय अथवा संबंधित अंचल कार्यालय में विहित प्रपत्र–I में निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन समर्पित किया जाएगा। जिला मत्स्य कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदनों को दो दिनों के भीतर जिला मत्स्य पदाधिकारी जाँच हेतु संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी को प्रेषित करेंगे।

(III). आवेदन के साथ फार्म का फोटोग्राफ/क्षतिग्रस्त नाव/जाल का फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(IV). प्राप्त आवेदनों को जिला मत्स्य कार्यालय/अंचल कार्यलय में आवेदन पंजी में संधारित किया जाएगा। आवेदनों के संधारण में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी एवं इसका दैनिक प्रतिवेदन समाहर्त्ता को प्रेषित किया जाएगा।

4. आवेदनों के सत्यापन/जाँच की प्रक्रिया : –

(I). संबंधित अंचलाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी के द्वारा 07 दिनों के अन्दर प्राप्त आवेदनों की जाँच कर, कारण सहित स्वीकृति/आंशिक स्वीकृति/अस्वीकृति की अनुशंसा के साथ जिला मत्स्य पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

(II). राज्य के पाँच जिलों यथा मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, दरभंगा एवं मधुबनी में प्रखण्ड स्तरीय कार्यरत मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों को इस कार्य हेतु प्राधिकृत किया जा सकेगा।

(III). जाँच के क्रम में नाव एवं जाल के आंशिक/पूर्ण क्षति के बारे में स्पष्ट मंतव्य जाँच पदाधिकारी के द्वारा अंकित किया जाएगा।

(IV). मत्स्य बीज फार्म के इनपुट अनुदान दावा हेतु प्राप्त आवेदनों में दर्ज सूचनाओं की संपुष्टि हेतु कृषक द्वारा उपलब्ध कराए गए विपत्र/कागजात को भी आधार बनाया जाएगा।

(V). मछली फार्म के क्षति की जाँच में जाँच पदाधिकारी द्वारा फार्मों के बांध की क्षति अथवा फार्म में हुए सील्टेशन के बारे में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया जाएगा।

(VI). जाँच पदाधिकारी/प्राधिकृत कर्मी द्वारा प्रभावित फार्म के इर्द–गिर्द के दो कृषकों की गवाही द्वारा भी आवेदन में दर्ज दावा का सत्यापन किया जाएगा।

(VII). वास्तविक मत्स्य पालन करने वाले सरकारी जलकरों के पट्टेदार और निजी क्षेत्रों के तालाबों में वास्तविक मालिक/जोतदार को ही लाभ मिले, इसे सुनिश्चित किया जाएगा।

5. आवेदनों की स्वीकृति –

(I). अंचलाधिकारी स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी एक सप्ताह के भीतर स्थल पर जाकर जाँच कर प्रतिवेदन प्रपत्र–II में अंचलाधिकारी को समर्पित करेंगे। अंचलाधिकारी अपने स्तर से संतुष्ट होकर इसे प्रतिहस्ताक्षरित कर जिला मत्स्य पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे।

(II). जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा अंचलों से प्राप्त न्यूनतम 15 प्रतिशत आवेदनों की जाँच स्वंय की जाएगी। प्रपत्र–III में जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा क्षतिपूर्ति के अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाएगी। तदोपरांत प्राप्त क्षतिपूर्ति की स्वीकृति प्रपत्र–IV में संकलित कर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अपर समाहर्त्ता को प्रस्तुत किया जाएगा।

(III). अपर समाहर्त्ता एक सप्ताह के भीतर उक्त क्षतिपूर्ति की स्वीकृति करेंगे। समाहर्त्ता के द्वारा लाभुक को DBT/RTGS के माध्यम से अधिकतम तीन दिनों में क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा।

6. अनुश्रवण :–

(I). बाढ से हुई क्षति के त्वरित आकलन एवं क्षतिपूर्त्ति हेतु आवेदन की प्राप्ति एवं उसके शीघ्र पारदर्शी सत्यापन कराने हेतु इसका प्रभावकारी अनुश्रवण किया जाएगा।

(II). अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदन के सत्यापन की पूरी प्रक्रिया का क्षेत्र भ्रमण कर क्रॉस सत्यापन किया जाएगा, ताकि सत्यापन कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी/त्रुटि न हो।

(III). जिला मत्स्य पदाधिकारी जिलान्तर्गत प्रभावित क्षेत्रों का सतत् क्षेत्र भ्रमण कर सत्यापन कार्य का निरीक्षण करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि/गड़बड़ी परिलक्षित होने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा संबंधित अंचल अधिकारी एवं समाहर्त्ता को सूचित किया जाएगा एवं तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई हेतु निदेश समाहर्त्ता के स्तर से निर्गत किया जाएगा।

(IV). प्रभावित परिक्षेत्र के उप मत्स्य निदेशक के द्वारा भी नियमित रूप से क्षेत्राधीन जिलों का भ्रमण कर पर्यवेक्षण किया जाएगा ।

(V). समाहर्त्ता के द्वारा प्रखण्ड के प्रभारी पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी के द्वारा भी आवेदनों की जाँच की प्रकिया का पर्यवेक्षण कराया जाएगा।

(VI). मत्स्य निदेशालय के द्वारा सहाय्य की पूरी प्रक्रिया पर सतत् निगरानी रखी जाएगी। बाढ़ प्रभावित जिलों में सहाय्य की कार्रवाई ससमय संपन्न हो, इसे लगातार समीक्षा कर सुनिश्चित कराया जाएगा।

7. पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मुकेश कुमार मुकुल) 21/05/23
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:–म०सं०/(आपदा)–02/2017(ख)– 967 /पटना दिनांक– 15/05/2023.

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/सभी उप मत्स्य निदेशक/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/05/23
सरकार के उप सचिव